

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना म0प्र0

—:: ज्ञापन ::—

क्रमांक

/चार-3-1/2016,

पन्ना, दिनांक 05 अगस्त, 2023

प्रति,

आयुक्त (विज्ञापन शाखा)

जनसंपर्क संचालनालय

जनसंपर्क भवन, बाणगंगा रोड,

भोपाल पी0बी0एक्स0 नंबर 0755-4096300

विषय:-

जिला न्यायालय पन्ना परिसर में स्थित कैन्टीन के संचालन हेतु निविदा को प्रकाशित कराये जाने बावत्।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिला न्यायालय भवन पन्ना में परिसर के अंदर सर्विस बिल्डिंग में कैन्टीन कक्ष का संचालन कराये जाने हेतु निविदाओं का प्रकाशन कराया जाना है। निविदा आमंत्रित किये जाने की अंतिम तिथि 01.09.2023 है।

अतः यथाआदेश लेख है कि संलग्न निविदा प्रारूप को प्रादेशिक/स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों में निर्धारित समयाविध में (07 दिवस के अंदर) आवश्यक रूप से प्रकाशित कराया जाकर, समाचार पत्रों की पूर्ण प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्न :- निविदा आमंत्रण सूचना विज्ञापित।

Sd/-
जिला रजिस्ट्रार

कार्या0 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना म0प्र0

पृष्ठां0 क्रमांक 672 /चार-3-1/16

पन्ना, दिनांक 05 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि:- यथाआदेशानुसार,

- 01- जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क कार्यालय पन्ना की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने एवं समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को भेजे जाने हेतु प्रेषित।
- 02- अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, की ओर निविदा फॉर्म एवं शर्तें म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 04- जिला नाजिर, नजारत अनुभाग पन्ना की ओर कैन्टीन निविदा के संबंध में सूचना पत्र अधिक से अधिक लोक स्थानों, न्यायालय एवं अधिवक्तागण के सूचना पटल, महत्वपूर्ण चौराहों (जैसे- कलेक्ट्रेट, कोतवाली चौराहा, नगर पालिका कार्यालय, महेन्द्र भवन चौराहा, गांधी चौक इत्यादि) एवं न्यायालय भवन के बाह्य एरिया में चस्पा कराये जाने एवं पालन प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश सहित प्रेषित।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

जिला रजिस्ट्रार

कार्या0 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना म0प्र0

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना (म0प्र0)

// निविदा आमंत्रण सूचना //

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन पन्ना के परिसर में **स्थित कैन्टीन** के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाएं, व्यक्ति एवं कम्पनी से बंद निविदा प्रस्ताव आमंत्रित की जानी है। निविदा की शर्तें संबंधी निविदा प्रलेख मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट **www.mphc.gov.in** पर टेण्डर के कॉलम में उपलब्ध हैं। इच्छुक संस्थाएं/व्यक्ति/कम्पनी अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुये दिनांक **01.09.2023** तक सायं 5.00 बजे तक **कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना** में जमा कर सकते हैं।

निविदा दिनांक **02.09.2023 (दिन-शनिवार)** को समय प्रातः 11:00 बजे स्थापना में गठित कमेटी एवं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जावेगी। उक्त समय में निविदाकर्ता यदि उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो वह किसी अन्य को प्रतिनिधि के रूप में अधिकार पत्र के साथ उपस्थित होने के लिये संसूचित कर सकते हैं, किंतु अनुपस्थिति की दशा में किसी भी प्रकार की, की गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।


जिला रजिस्ट्रार

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना म0प्र0

जिला न्यायालय पन्ना स्थित कैंटीन कक्ष के संचालन हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें

प्रथम पक्ष :- निविदाकर्ता का
नाम

पता

मोबा.न

द्वितीय पक्ष :- **जिला रजिस्ट्रार,**
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पन्ना म0प्र0

जिला न्यायालय परिसर पन्ना स्थित सर्विस बिल्डिंग के अंतर्गत स्थित कैंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से 01 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएं विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

।। निर्धारित शर्तें ।।

- 01-** निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएं "जिला रजिस्ट्रार, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना" के नाम से दिनांक 01.09.2023 के सायंकाल 5:00 बजे तक स्वीकार की जावेंगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 02-** अनुज्ञा शुल्क जिला न्यायालय परिसर पन्ना स्थित कैंटीन कक्ष हेतु न्यूनतम किराया 13670/- रूपये, निर्धारित है।
- 03-** निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ कैंटीन संचालन हेतु रूपये 25000/- राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अमानत के रूप में अग्रिम द्वितीय पक्ष के हित में देय होगा। जो जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जायेगी, उक्त निविदाकर्ता की राशि अमानत के रूप में एक वर्ष के लिये द्वितीय पक्ष के पास सुरक्षित जमा रहेगी तथा शेष निविदाकर्ताओं जिनकी निविदाएं असफल होगी, उनकी राशि निविदा की चयन प्रक्रिया के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।
- 04-** निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बंद निविदाएं, दिनांक 02.09.2023 (दिन-शनिवार) को समय प्रातः 11:00 बजे देख-रेख एवं निर्माण निगरानी समिति पन्ना, के समक्ष निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जाकर अंतिम रूप दिया जावेगा, जिसपर अधिकतम राशि अंकित करने वाली निविदाकर्ता की निविदा मान्य होगी।
- 05-** निविदा स्वीकार होने के फलस्वरूप, निविदाकर्ता को 2 माह की अग्रिम किराया राशि ऑनलाईन ई-पेमेण्ट/चालान के माध्यम से कैंटीन कक्ष के संचालन के एक सप्ताह पूर्व अनुबंध सहित द्वितीय पक्ष "जिला रजिस्ट्रार, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

पन्ना के हित में जमा कराना होगा। आगामी शेष माह की राशि प्रथम 2 माह समाप्त होने के 15 दिवस शेष रहने के पूर्व जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

06- कैंटीन, जिस निविदाकर्ता के पक्ष में अंतिम रूप से स्वीकार होती है, एक वर्ष के संचालन के उपरांत यदि वह आगामी एक वर्ष के लिये पुनः संचालन चाहता है, तो पूर्व से निर्धारित किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि पर देय होगी, जिसके लिये निविदाकर्ता को संचालन अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

07- निविदाकर्ता द्वारा निविदा शर्तों के अधीन लिये गये कैंटीन कक्ष, एक वर्ष की अवधि के लिये होगी, यदि निविदाकर्ता द्वारा एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व संचालन बंद किया जाता है अथवा निविदा की शर्तों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं भी परिस्थितियों में उल्लंघन किया जाता है तो, अमानत के रूप में जमा राशि जप्त/राजसात की जाकर शासन के हित में जमा जावेगी।

08- प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का क्षेत्राधिकार/निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना को होगा, जो प्रथम पक्ष पर बंधनकारी होगा।

09- निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन के संचालन के संदर्भ में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से अनुमति लिये बगैर किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन कार्य नहीं करेगा, ऐसा किये जाने पर अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

10- निविदाकर्ता स्वच्छता/साफ-सफाई/पारदर्शिता के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। किन्हीं भी परिस्थितियों पर उपरोक्त के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर अनुज्ञा निरस्त/समाप्त की जा सकेगी।

11- कैंटीन संचालनकर्ता को विद्युत के निस्तारण/विस्तारण के संबंध में स्वयं के नाम से नियमानुसार विद्युत कनेक्शन/मीटर का संयोजन कराया जाकर, भुगतान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

12- निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र "यदि उसने पूर्व में कैंटीन का कार्य किया हो" उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।

13- विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर के सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा। निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दरें द्वितीय पक्ष से अनुमोदित करवाई जायेगी तथा ऐसा दर बाजार रेट से अधिक नहीं होगा एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जायेगी।

14- कैंटीन संचालनकर्ता को कैंटीन का संचालन कार्य दिवसों में प्रातः 9.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक ही निर्धारित रहेगा। यदि बिना किसी पूर्व सूचना दिये कार्य दिवस में कैंटीन का संचालन बंद होना पाया जाता है तो 1000/- रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

15- निविदाकर्ता कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण/संरचना नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो किन्हीं कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।

16- न्यायालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियां एवं मादक पदार्थों अथवा दृव्यों जैसे धूम्रपान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, संलिप्त पाये जाने पर विधि अनुसार संचालनकर्ता के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी।

17- कैंटीन संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचानपत्र जैसे कि मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

18- कैंटीन संचालन हेतु अनुबंध 500/- रूपये के स्टाम्प में मान्य होगा, जो प्रथम पक्ष के लिये बंधनकारी होगा एवं निविदाएं सफल होने पर सफल निविदाकर्ता को 15 दिवस के अंदर अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

“मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।”

.....
.....

हस्ताक्षर
निविदा (प्रथम पक्ष)

जिला रजिस्ट्रार
कार्या0-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना
हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)